


6-22

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट महुआ खुर्द पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में खातेदार द्वारा ग्राम महुआ खुर्द प0ह0 महुआ खुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। खातेदार के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से खातेदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः खातेदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा



प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प महुआ खुर्द
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह और 0१0एस0

नम्बर - 201 / 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

हैयालाल पिता नारायण लाल लोहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- विनोद पिता बालु लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- रामप्रसाद पिता बालु लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- लादु पिता नन्दा लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- मुरली पिता रामचन्द्र लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- जगदीश पिता रामचन्द्र लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6- विजय पिता रामचन्द्र लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7- चान्दी पिता मोहन लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8- अनोपी पिता मोहन लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 9- लाडु पिता मोहन लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 10- काना पिता नारायण लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 11- गजानन्द पिता नारायण लौहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 12- भंवर पिता देवीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 13- रणजीत पिता देवीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 14- बद्रीलाल पिता देवीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 15- पुषालाल पिता देवीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 16- मोहन पिता बालु जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 17- चुन्नी लाल पिता बीरमा बलाई निवासी दातानिलावरी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 18- छीतर पिता बख्तावर बलाई निवासी दातानिलावरी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 19- पुरण पिता मोहन बलाई निवासी दातानिलावरी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 20- दुर्गालाल पिता सोहन बलाई निवासी दातानिलावरी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 21- कमलेश पिता सोहन बलाई निवासी दातानिलावरी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 22- राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 03/06/2022


खातेदार की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1014, 1028, 2642/1039 कुल किता 3 रकबा 02-06 बीघा के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

खातेदार का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम महुआ खुर्द तहसील जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1014, 1028, 2642/1039 कुल किता 3 रकबा बीघा भूमि खातेदार के नाम दर्ज होकर खातेदार है। खातेदार अपने खाते की उक्त कृषि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर खातेदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः खातेदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1014, 1028, 2642/1039 कुल किता 3 रकबा 02-06 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक महुआ खुर्द को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक महुआ खुर्द जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय महुआ खुर्द पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा